संलग्नक-I

(देखें पैरा 19.4)

जिला रूपरेखा						वर्ष			
राज्य का नाम		जिले का नाम				डीपीईपी		गैर-डीपीईपी	
राज्य कोड	14	जिला कोड							
ई-मेल			ब्लाक			संकुल		गांव	

प्राथमिक		उच्च प्राथमिक	
कुल बस्तियां		अंतरण दर	
स्कूलविहीन बस्ती		स्कूलविहीन पात्र बस्ती	
सरकारी स्कूल		सरकारी स्कूल	
भवनविहीन		भवनविहीन	
सरकारी सहायताप्राप्त स्कूल		सरकारी सहायताप्राप्त स्कूल	
स्वीकृत अध्यापक (पद)		स्वीकृत अध्यापक	
सेवारत अध्यापक		सेवारत अध्यापक	
सरकारी सहायताप्राप्त अध्यापक		सरकारी सहायताप्राप्त अध्यापक	
सरकारी अध्यापक		सरकारी अध्यापक	
बच्चों की कुल संख्या		बच्चों की कुल संख्या	
कुल नामांकन (सभी)		कुल नामांकन (सभी)	
सरकारी तथा सरकारी सहायताप्राप्त		सरकारी तथा सरकारी सहायताप्राप्त	
कुल नामांकन		कुल नामांकन	
लड़कियों का कुल नामांकन		लड़कियों का कुल नामांकन	
लड़कों का कुल नामांकन		लड़कों का कुल नामांकन	
अनुसूचित जातियों के लड़कों का नामांकन		अनुसूचित जातियों के लड़कों का नामांकन	
अनुसूचित जातियों की लड़कियों का नामांकन		अनुसूचित जातियों की लड़कियों का नामांकन	
अनुसूचित जनजातियों के लड़कों का नामांकन		अनुसूचित जनजातियों के लड़कों का नामांकन	
अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों का नामांकन		अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों का नामांकन	
स्कूल न जा सकने वाले बच्चे		स्कूल न जा सकने वाले बच्चे	
विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे		विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे	

संलग्नक-I

(देखें पैरा 19.4)

जिला		**वार्षिक कार्ययोजना और बजट**	बजट वर्ष	

क्रियाकलाप	इकाई लागत	भौतिक	अवधि	वित्तीय
ब्लाक संसाधन केन्द्र				लाखों में
आरपी-1 का वेतन			1	
आरपी-2 का वेतन			1	
आरपी-3 का वेतन			1	
फर्नीचर अनुदान			1	
आकस्मिकता अनुदान			1	
बैठक, टीए			1	
टीएलएम अनुदान			1	
अन्य (यदि कोई हो तो)			1	
उप-योग				
संकुल संसाधन केन्द्र				
आरपी-1 का वेतन			1	
आरपी-2 का वेतन			1	
फर्नीचर अनुदान			1	
आकस्मिकता अनुदान			1	
बैठक, टीए			1	
टीएलएम अनुदान			1	
अन्य (यदि कोई हो तो)			1	
उप-योग			1	
प्रस्तावित नया स्कूल				
प्राथमिक				
उच्च प्राथमिक				

क्रियाकलाप	इकाई लागत	भौतिक	अवधि	वित्तीय
सिविल निर्माण कार्य				लाखों में
बीआरसी			1	
सीआरसी			1	
प्राथमिक स्कूल			1	
उच्च प्राथमिक			1	
भवनविहीन (प्रा)			1	
भवनविहीन (उप्र)			1	
खस्ताहाल भवन (प्रा)			1	
खस्ताहाल भवन (उप्रा)			1	
अतिरिक्त क्लास रूम			1	
टायलेट/ पेशाबघर			1	
पानी की सुविधा			1	
चारदीवारी			1	
विद्युतीकरण			1	
विभाजक दीवार			1	
बाल अनुकूल			1	
पिछले साल की बकाया राशि			1	
अन्य (यदि कोई हो तो)			1	
उप-योग				

संलग्नक-I

(देखें पैरा 19.4)

जिला		**वार्षिक कार्ययोजना और बजट**	बजट वर्ष	

क्रियाकलाप	**इकाई लागत**	**भौतिक**	**अवधि**	**वित्तीय**
स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए हस्तक्षपेणीय उपाय				**लाखों में**
ईजीएस केन्द्र (प्रा)			**1**	
ईजीएस केन्द्र (उप्रा)			**1**	
वापिस स्कूल चलो			**1**	
सेतु पाठ्यक्रम			**1**	
उपचारात्मक अध्यापन			**1**	
आवासीय शिविर			**1**	
नवाचारी योजना			**1**	
अन्य (यदि कोई हो तो)			**1**	
उप-योग				
मुफ्त पाठ्यपुस्तक				
मुफ्त पाठ्यपुस्तक (प्राप)			**1**	
मुफ्त पाठ्यपुस्तक (उप्रा)			**1**	
नवाचारी क्रियाकलाप				
ईसीसीई			**1**	
बालिका शिक्षा			**1**	
एस/एसटी			**1**	
कम्प्यूटर शिक्षा			**1**	
अन्य			**1**	
उप-योग				

क्रियाकलाप	**इकाई लागत**	**भौतिक**	**अवधि**	**वित्तीय**
विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे				**लाखों में**
आईईडी			**1**	
अनुरक्षण अनुदान				
स्कूल			**1**	
प्रबंध और एमआईएस				
प्रबंध एमआईएस			**1**	
अनुसंधान और मूल्यांकन				
अनुसंधान-मूल्यांकन			**1**	
स्कूल अनुदान				
प्राथमिक			**1**	
उच्च प्राथमिक			**1**	
उप-योग				
अध्यापक अनुदान				
प्राथमिक			**1**	
उच्च प्राथमिक			**1**	
उप-योग				

लग्नक-I

(देखें पैरा 19.4)

जिला		वार्षिक कार्ययोजना और बजट	बजट वर्ष	

क्रियाकलाप	इकाई लागत	भौतिक	अवधि	वित्तीय
अध्यापक वेतन (नए)			लाखों में	
प्राथमिक			1	
उच्च प्राथमिक			1	
मुख्याध्यापक (प्रा)			1	
मुख्याध्यापक (उप्रा)			1	
अतिरिक्त			1	
अर्ध-अध्यापक			1	
अन्य (यदि कोई हो तो)			1	
उप-योग				
अध्यापक वेतन (आवर्ती)				
प्राथमिक			1	
उच्च प्राथमिक			1	
मुख्याध्यापक (प्रा)			1	
मुख्याध्यापक (उप्रा)			1	
अतिरिक्त			1	
अर्ध-अध्यापक			1	
अन्य (यदि कोई हो तो)			1	
उप-योग				
कुल वेतन				

क्रियाकलाप	इकाई लागत	भौतिक	अवधि	वित्तीय
अध्यापन अधिगम सामग्री				लाखों में
टीएलई-नया प्राथमिक			1	
टीएलई-नया उच्च प्राथमिक			1	
गैर-ओबीबी उच्च प्राथमिक			1	
अन्य (यदि कोई हो तो)			1	
उप-योग				
अध्यापक प्रशिक्षण				
सेवाकालीन			1	
नई भर्ती			1	
अप्रशिक्षित			1	
दूरस्थ शिक्षा			1	
अन्य			1	
उप-योग				
सामुदायिक अभिप्रेरण				
नेताओं का प्रशिक्षण			1	
सकल योग				

संलग्नक-II
(देखें पैरा 20.1)

एसएसए के लिए वित्तीय मानदण्ड

क्रम संख्या	हस्तक्षेपणीय उपाय	मानदण्ड
1.	अध्यापक	• प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में प्रत्येक 40 बच्चों के पीछे एक अध्यापक • एक प्राथमिक स्कूल में कम से कम दो अध्यापक • उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक
2.	स्कूल/वैकल्पिक स्कूली सुविधा	• प्रत्येक बस्ती के एक किलोमीटर की दूरी के भीतर • राज्य मानदण्डों के अनुसार नए स्कूल खोलने अथवा असेवित बस्तियों में ईजीएस जैसे स्कूल खोलने की व्यवस्था
3.	उच्च प्राथमिक स्कूल/क्षेत्र	• प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की संख्या पर आधारित जरूरत के अनुसार जिसमें प्रत्येक दो प्राथमिक स्कूलों के लिए अधिक से अधिक एक उच्च प्राथमिक स्कूल/सेक्शन होगा
4.	क्लास रूम	• प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक अध्यापक अथवा प्रत्येक ग्रेड/कक्षा के लिए इनमें से जो भी में कम हो एक कमरा और साथ ही यह व्यवस्था कि कम से कम दो अध्यापकों वाले प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में बरामदे सहित दो क्लास रूम होंगे • उच्च प्राथमिक स्कूल/सेक्शन में मुख्याध्यापक के लिए एक कमरा
5.	मुफ्त पाठ्यपुस्तकें	• प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर सभी लड़कियों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए जिसकी ऊपरी सीमा 150 रुपये प्रति बच्चे के भीतर होगी • मुफ्त पाठ्यपुस्तकें जोकि आजकल राज्य योजनाओं के अधीन दी जा रही हैं राज्यों को उनका वित्तपोषण जारी रखना चाहिए • यदि कोई राज्य प्रारम्भिक कक्षाओं के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति की लागत में आंशिक आर्थिक सहायता कर रहा है तो एसएसए के अधीन दी जाने वाली सहायता, पुस्तकों के मूल्य का जो हिस्सा बच्चे वहन कर रहे हें उस हिस्से तक सीमित रहेगी
6.	सिविल निर्माण कार्य	• सिविल निर्माण कार्यों के लिए कार्यक्रम निधियां सन 2010 तक की अवधि के लिए तैयार की गई संदर्श योजना के आधार पर पीएबी द्वारा अनुमोदित समग्र परियोजना लागत की 33% की ऊपरी सीमा से अधिक नहीं होंगी • 33% की इस ऊपरी सीमा में भवनों के अनुरक्षण और मरम्मत पर किए जाने वाला खर्च शामिल नहीं होगा • तथापि किसी वर्ष विशेष की वार्षिक योजना में सिविल निर्माण कार्यों की ऊपरी सीमा वार्षिक योजना व्यय के 40% तक रखने पर विचार किया जा सकता है जोकि उस वर्ष में समग्र परियोजना की 33% की ऊपरी सीमा के भीतर कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को दी गई प्राथमिकता पर आधारित होगा • स्कूल सुविधाओं में सुधार, बीआरसी/सीआरसी निर्माण के लिए • सीआरसी का प्रयोग अतिरिक्त कमरे के रूप में भी किया जा सकता है • कार्यालय भवनों के निर्माण पर कोई खर्च न किया जाए • जिलों द्वारा आधारिक योजनाएं तैयार की जाएं
7.	स्कूल भवनों का	• केवल स्कूल प्रबंध समितियों/वीईसी के माध्यम से

	रखरखाव और मरम्मत	• अधिक से अधिक 3 क्लास रूमों वाले स्कूल प्रतिवर्ष 4000 रुपये प्रति स्कूल की दर की अधिकतम दर से रखरखाव अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे जबकि 3 क्लास रूमों से अधिक क्लास रूमों वाले स्कूल प्रतिवर्ष 7500 रुपये प्रति स्कूल की अधिकतम दर से रखरखाव अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे किन्तु शर्त यह होगी कि जिले के लिए समग्र हकदारी 5000 रुपये प्रति स्कूल होगी (टिप्पणीः इस प्रयोजन के लिए मुख्याध्यापक का कमरा और कार्यालय कक्ष को क्लास रूम के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा) • रखरखाव अनुदान के प्रयोजन से प्राथमिक स्कूलों और उच्च प्राथमिक स्कूलों को अलग–अलग स्कूल समझा जाएगा भले ही वे एक ही परिसर से काम कर रहे हों • इस काम में सामुदायिक सहयोग के तथ्य अनिवार्यतः शामिल होने चाहिए • निर्माण कार्यों के लिए 33% की सीमा की गणना करने में भवन के रखरखाव और मरम्मत संबंधी खर्च को नहीं जोड़ा जाना चाहिए • अनुदान उन स्कूलों के लिए मुहैया कराया जाएगा जिनके मौजूदा भवन स्वयं अपने हैं
8.	ईजीएस का नियमित स्कूल के रूप में स्तरोन्नयन अथवा राज्य मानदण्ड के अनुसार नया प्राथमिक स्कूल खोलना	• 10000/- रुपये प्रति स्कूल की दर से टीएलई के लिए प्रावधान • टीएलई स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार • टीएलई के चयन और अधिप्राप्ति में अध्यापकों और माता-पिता का सहयोजन जरूरी है • अधिप्राप्ति के सर्वोत्तम तरीके के बारे में निर्णय लेने के लिए वीईसी/स्कूल-ग्राम स्तरीय उपयुक्त निकाय • ईजीएस केन्द्र के स्तरोन्नयन पर विचार करने के लिए उसके कम से कम दो वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालन की शर्त जरूरी • अध्यापक और क्लास रूमों के लिए व्यवस्था
9.	उच्च प्राथमिक के लिए टीएलई	• शामिल न किए गए स्कूलों के लिए 50000/- रुपये प्रति स्कूल की दर से • अध्यापकों/स्कूल समिति द्वारा यथानिर्धारित स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार • अधिप्राप्ति के सर्वोत्तम तरीके के बाबत स्कूल समिति द्वारा अध्यापकों के परामर्श से निर्णय लेना • स्कूल समिति जिला स्तरीय अधिप्राप्ति की सिफारिश कर सकती है यदि ऐसा करना परिमाणात्मक दृष्टि से लाभकारी हो
10.	स्कूल अनुदान	• गैर-कार्यकारी स्कूल उपस्कर को बदलने के लिए 2000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रति प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल के हिसाब से • उपयोग में पारदर्शिता • केवल वीईसी/एसएमसी द्वारा खर्च किया जाए • स्कूल अनुदान के लिए प्राथमिक स्कूलों और उच्च प्राथमिक स्कूलों को अलग-अलग स्कूल समझा जाएगा भले ही वे एक ही परिसर से काम कर रहे हों
11.	अध्यापक अनुदान	• प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल में 500 रुपये प्रतिवर्ष प्रति अध्यापक • उपयोग में पारदर्शिता
12.	अध्यापक प्रशिक्षण	• सभी अध्यापकों के लिए प्रतिवर्ष 20 दिन के सेवाकालीन पाठ्यक्रम की व्यवस्था, अध्यापकों के रूप में पहले से नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए

		60 दिन का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और नव प्रशिक्षित भर्ती वालों के लिए 70 रुपये प्रतिदिन की दर से 30 दिन का दिशा-अनुकूलन कार्यक्रम • यूनिट लागत निदर्शनात्मक है जोकि गैर-आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कम होगी • इसमें सभी प्रशिक्षण लागत शामिल हैं • मूल्यांकन के दौरान प्रभावी प्रशिक्षण के लिए क्षमताओं का मूल्यांकन समावेशन की सीमा निर्धारित करेगा • मौजूदा अध्यापक शिक्षा योजना के अधीन एससीईआरटी/डाईट के लिए सहायता
13.	राज्य शैक्षिक प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थान (एसआईइएनएटी)	• तीन करोड़ रूपये की एकबारगी सहायता • संस्थान को बनाए रखने के लिए राज्यों की सहमति • संकाय के चयन के मानदण्ड कठोर होने चाहिए
14.	सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण	• इस तरह का प्रशिक्षण किसी गांव में प्रतिवर्ष चार व्यक्तियों के लिए वित्तीय समकक्षता तक तथा प्रतिवर्ष प्रत्येक स्कूल के दो व्यक्तियों के लिए दो दिन तक सीमित रहेगा--अधिमानतः महिलाओं के लिए • 30 रुपये प्रति दिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से
15.	विकलांग बच्चों के लिए प्रावधान	• प्रतिवर्ष विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार विकलांग बच्चों के एकीकरण के लिए 1200/- रुपये प्रति बच्चे तक • विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए 1200/- रुपये प्रति बच्चे के मानदण्ड के भीतर जिला योजना तैयार की जाएगी • संसाधन संस्थानों के सहयोजन को प्रोत्साहन दिया जाएगा
16.	अनुसंधान, मूल्यांकन पर्यवेक्षण और मानीटरन	• प्रत्येक स्कूल के लिए प्रतिवर्ष 1500/- रुपये तक • राज्य विशिष्ट बल देते हुए अनुसंधान और संसाधन संस्थानों, संसाधन दलों के पूल के साथ सहभागिता • संसाधन/अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से मूल्यांकन और पर्यवेक्षण के लिए तथा एक प्रभावी ईएमआईएस पर क्षमताओं के विकास को प्राथमिकता • पारिवारिक आंकड़ों को अद्यतन बनाने के लिए नियमित स्कूल मानचित्रण/सूक्ष्म आयोजना का प्रावधान • संसाधन व्यक्तियों के पूल का निर्माण करके, मानीटरन के लिए यात्रा अनुदान और मानदेय का प्रावधान करके, समुदाय आधारित आंकड़ों, अनुसंधान अध्ययनों का सृजन करके, मूल्यांकन और निर्धारण शर्तों की लागत तथा उनके क्षेत्र क्रियाकलाप, संसाधन व्यक्तियों द्वारा क्लास रूम प्रेक्षण • निधियां प्रत्येक स्कूल के समग्र आबंटन में से राष्ट्रीय, राज्य, जिला, उपजिला, स्कूल स्तर पर खर्च की जाएंगी • राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक स्कूल पर प्रतिवर्ष 100 रुपये खर्च किए जाएंगे • राज्य/जिला/बीआरसी/सीआरसी/स्कूल स्तर पर खर्च के बारे में राज्य/संघशासित क्षेत्र द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इसमें इन बातों पर खर्च होगाः मूल्यांकन, पर्यवेक्षण, एमआईएस, क्लास रूम प्रेक्षण आदि। अध्यापक शिक्षा योजना के अधीन प्रावधान से अलग एससीईआरटी को भी सहायता दी जानी चाहिए • राज्य विशिष्ट दायित्वों का वहन करने के इच्छुक संसाधन संस्थानों का सहयोजन

17.	प्रबंध लागत	• जिला योजना के बजट के 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए • इसमें ये खर्चे शामिल होने चाहिएः आफिस व्यय, मौजूदा जनशक्ति का जायजा लेने के बाद विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना, पीओएल आदि • एमआईएस, सामुदायिक आयोजना प्रक्रियाओं, सिविल निर्माण कार्यों, लिंग आदि में विशेषज्ञों को प्राथमिकता जोकि जिला विशेष में उपलब्ध क्षमता पर निर्भर करेगी • राज्य/जिला/ब्लाक/संकुल स्तरों पर प्रभावी दल तैयार करने के लिए प्रबंध लागतों का प्रयोग किया जाना चाहिए • परियोजना पूर्व चरण में ही बीआरसी/सीआरसी के लिए कार्मिकों की पहचान एक प्राथमिकता होनी चाहिए जिससे कि गहन प्रक्रिया आधारित आयोजना के लिए एक दल उपलब्ध रहे
18.	बालिकाओं की शिक्षा, प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा के लिए नवाचारी क्रियाकलाप, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के बच्चों के लिए हस्तक्षेपणीय उपाय, विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कम्प्यूटर शिक्षा	• एसएसए के अधीन प्रत्येक नवाचारी परियोजना के लिए 15 लाख रुपये तक और प्रत्येक जिले के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये तक की राशि लागू होगी • ईसीसीई और बालिका शिक्षा हस्तक्षेपणीय उपायों के मामले में अन्य मौजूदा योजनाओं के अधीन पहले से अनुमोदित यूनिट लागतें लागू होंगी
19.	ब्लाक संसाधन केन्द्र/संकुल संसाधन केन्द्र	• प्रत्येक सामुदायिक विकास (सीडी) ब्लाक में सामान्यतः एक बीआरसी होगा। तथापि जिन राज्यों में शैक्षिक ब्लाकों अथवा मंडलों जैसे उपजिला शैक्षिक प्रशासनिक तंत्र मौजूद हैं जिनका कार्यक्षेत्र सीडी ब्लाकों पर समाप्त नहीं होता तो ऐसे राज्य ऐसे उपजिला शैक्षिक प्रशासनिक यूनिट में एक बीआरसी रखने का निर्णय ले सकते हैं। तथापि ऐसे मामले में एक सीडी ब्लाक में बीआरसी और सीआरसी के संबंध में अनावर्ती और आवर्ती किस्म का समग्र व्यय प्रत्येक सीडी ब्लाक में केवल एक बीआरसी खोले जाने की स्थिति में बीआरसी और सीआरसी पर किए जाने वाले समग्र खर्च से अधिक नहीं होगा • जहां तक हो सके बीआरसी/सीआरसी को स्कूल परिसर में स्थापित किया जाए • जहां कहीं जरूरी हो वहां 6 लाख रुपये की ऊपरी सीमा के भीतर बीआरसी भवन का निर्माण कराया जाए • जहां कहीं जरूरत हो वहां सीआरसी निर्माण कार्य के लिए दो लाख रुपये की राशि स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूमों पर खर्च की जाए • स्कूल से इतर निर्माण (बीआरसी और सीआरसी) पर कुल खर्च किसी भी जिले में किसी एक वर्ष में कार्यक्रम के अधीन समग्र अनुमानित खर्च के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए
		• 100 स्कूलों से अधिक वाले ब्लाक में 20 अध्यापकों तक की; और बीआरसी और सीआरसी को मिलाकर छोटे ब्लाकों में 10 अध्यापकों की नियुक्ति • बीआरसी के लिए एक लाख रुपये तक और सीआरसी के लिए 10000/- रुपये के फर्नीचर की व्यवस्था

		• बीआरसी के लिए 12500/- रुपये और सीआरसी के लिए 2500/- रुपये प्रतिवर्ष का आकस्मिकता अनुदान • बैठकें यात्रा भत्ताः बीआरसी के लिए 500 रुपये तक और सीआरसी के लिए 200 रुपये प्रतिमाह तक • टीएलएम अनुदानः बीआरसी के लिए प्रतिवर्ष 5000/- रुपये और प्रत्येक सीआरसी के लिए प्रतिवर्ष 1000/- रुपये • उपक्रम अवस्था में ही गहन चयन प्रक्रिया के बाद बीआरसी/सीआरसी कार्मिकों की पहचान
20.	स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए हस्तक्षेपणीय उपाय	• शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा के अधीन पहले से ही अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार निम्न प्रकार के हस्तक्षेपणीय उपायों के लिए मंजूरीः ▸ अवेसित बस्तियों में शिक्षा गारंटी केन्द्र स्थापित करना ▸ वैकल्पिक स्कूली शिक्षा माडल ▸ स्कूल न जा सकने वाले बच्चों को नियमित स्कूलों की मुख्यधारा का अंग बनाने के बल देते हुए सेतु पाठ्यक्रम, उपाचारात्मक पाठ्यक्रम, वापिस स्कूल चलो शिविर
21.	सूक्ष्म आयोजना, पारिवारिक सर्वेक्षणों, अध्ययनों, सामुदायिक अभिप्रेरण, स्कूल आधारित क्रियाकलापों, कार्यालय उपकरण, प्रशिक्षण तथा सभी स्तरों पर दिशा-अनुकूलन आदि के लिए प्रारम्भिक क्रियाकलाप	• राज्य द्वारा अनुशंसित जिले के विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार। आवश्यकतानुसार आयोजना के लिए एक जिले अथवा महानगरों के बीच शहरी क्षेत्रों को अलग इकाई के रूप में समझा जा सकता है

संलग्नक-III
(देखें पैरा 42.1)

प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीएल)[1] के वित्तीय मानदण्ड

मार्गदर्शी सिद्धान्तों की पैरा संख्या	हस्तक्षेपणीय उपाय	वित्तीय मानदण्ड	
7(i)	आदर्श संकुल स्कूल (एमसीएस) ◆ अतिरिक्त क्लास रूम ◆ पेयजल की आपूर्ति ◆ विद्युतीकरण ◆ टायलेट यह राशि एसएसए के अधीन सिविल निर्माण कार्यों के लिए 33% की सीमा से अलग होगी। अतिरिक्त क्लास रूमों आदि का निर्माण संकुल मुख्यालय की वीईसी/एसएमसी द्वारा किया जाएगा। क्लास रूम के डिजाइन की कोटि राज्य एसएसए सोसायटी की कार्यकारी समिति द्वारा मंजूर की जाएगी। आधारिक सुविधाओं के विकास का प्रयोग स्कूलों में योग के लिए, आवासीय सुविधाओं, लड़कियों के टायलेट, जल आपूर्ति, विद्युतीकरण और स्तरोन्नत संकुल स्कूलों में बाधामुक्त विशेषताओं के निर्माण के लिए किया जाएगा।	**अधिक से अधिक दो लाख रुपये तक का एकबारगी अनुदान**	
7(i)	◆ अध्यापन अधिगम उपकरण ◆ पुस्तकालय ◆ खेलकूद ◆ व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि	**30000/- रुपये का एकबारगी अनुदान**	
7(ii)(क)	**आदर्श संकुल स्कूलों को निम्न प्रयोजनों के लिए आवर्ती अनुदान**--उस संकुल में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों जिनमें स्कूलों के रखरखाव तथा अतिरिक्त विशिष्ट विषयों के लिए अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति शामिल है संबंधी खर्चों की जरूरतें को पूरा करने के लिए किन्तु उसके लिए शर्त यह है कि किसी भी अनुदेशक की सेवाएं किसी एक शैक्षणिक वर्ष में तीन माह से अधिक समय के लिए प्राप्त नहीं की जाएंगी और उसे प्रतिमाह 1000/- रुपये से अधिक का मानदेय नहीं दिया जाएगा।	प्रत्येक संकुल के लिए 20000/- रुपये प्रतिवर्ष	**प्रत्येक संकुल के लिए इनमें से एक या एक से अधिक हस्तक्षेपणीय उपाय प्रत्येक संकुल के लिए 60000/- रुपये की समग्र वार्षिक ऊपरी सीमा के भीतर हाथ में लिए जा सकते हैं**
7(ii)(ख)	**स्कूलों/अध्यापकों को पुरस्कार**--नामांकन, स्कूल में बनाए रखने और अधिगम परिणामों में छात्राओं की उपलब्धियों के लिए संकुल स्तर पर प्रतिवर्ष स्कूल/अध्यापक के लिए एक पुरस्कार दिया जाएगा	5000/- रुपये (वस्तुओं के रूप में)	

7(ii)(ग)	**छात्र मूल्यांकन, उपचारात्मक अध्यापन, सेतु पाठ्यक्रम, वैकल्पिक स्कूल**--जिन गांवों में स्कूल न जा सकने वाले बच्चे, अनियमित बालिकाओं के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है वहां सेतु पाठ्यक्रमों, नमनशील समय, वापिस स्कूल चलो शिविरों, उपचारात्मक अध्यापन आदि सहित लड़कियों के दुष्कर समूहों की सेवा के लिए वैकल्पिक स्कूली शिक्षा के विशेष माडल शुरू किए जाएंगे। ये उपाय एसएसए के अधीन ईजीएस और एआईई घटक के अधीन पहले से उपलब्ध प्रावधनों के अलावा होंगे।	प्रत्येक संकुल के लिए प्रतिवर्ष 20000/- रुपये की न्यूनतम राशि	**प्रत्येक संकुल के लिए इनमें से एक या एक से अधिक हस्तक्षेपणीय उपाय प्रत्येक संकुल के लिए 60000/- रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के भीतर हाथ में लिए जा सकते हैं**
7(ii)(घ)	**मुक्त स्कूलों के माध्यम से पढ़ना**--मुक्त स्कूली प्रणाली में भी उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कतिपय विशेष मामलों में नियमित अन्तरालों पर अल्पकालीन आवासीय प्रशिक्षण की जरूरत रहती है। इस योजना में राष्ट्रीय मुक्त स्कूल तथा राज्य मुक्त विद्यालयों के अधीन पाठ्यक्रमों के लिए लड़कियों को शिक्षण शुल्क की माफी तथा विशेष रूप से तैयार किए गए मुक्त अध्यापन-केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी एनओएस, राज्य मुक्त स्कूलों अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार करेगी। संकुल स्कूल, आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल/एनजीओ केन्द्र का स्थान होगा। यह उन लड़कियों को जिन्होंने किसी कारण नियमित स्कूलों में शिक्षा बीच में छोड़ दी है, शैक्षिक प्रणाली में लाने के काम को सुकर बनाएगा। अल्पकालीन आवासीय पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। जहां तक संभव हो सके इस सम्बन्ध में किया जाने वाला भुगतान राज्य सोसायटियों द्वारा स्थिति अनुसार सीधे ही राष्ट्रीय मुक्त स्कूल या राज्य मुक्त स्कूल को किया जाएगा।	फीस के भुगतान तथा राष्ट्रीय मुक्त स्कूल या राज्य मुक्त स्कूल की सहायता से पूरक अध्यापन के सम्बन्ध में प्रत्येक संकुल प्रतिवर्ष के लिए अधिक से अधिक रुपए 50000/- की राशि	
7(ii)(ड.)	**अध्यापक प्रशिक्षण**--अध्यापकों और अध्यापक प्रशिक्षकों को लड़के लड़कियों के प्रति संवेदीकरण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण विषयपरक मुद्दों पर सामान्य अध्यापक प्रशिक्षण के लिए एसएसए के अधीन उपलब्ध प्रावधानों के अलावा होगा।	कम से कम 20 अध्यापकों को विशेष रूप से महिला और पुरुष के पक्षों में वार्षिक प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक संकुल के लिए अधिक से अधिक 4000/- रुपए प्रतिवर्ष की राशि	
7(ii)(च)	**बाल परिचर्या केन्द्र--समेकित** बाल विकास योजना के अन्तरालों की पूर्ति करने और लड़कियों को छोटे भाई बहनों की देखभाल करने की जिम्मेदारी से मुक्ति दिलाने के निमित्त इस योजना में अतिरिक्त रूप से प्रारम्भिक बाल परिचर्या केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। जिन क्षेत्रों में महिला और बाल विकास विभाग तथा/अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार की किसी भी योजना के अधीन कोई बाल परिचर्या केन्द्र नहीं खोला गया है वहां प्रत्येक संकुल में समुदाय द्वारा संचालित दो बाल परिचर्या केन्द्र खोले जा सकते हैं।	एसएसए के 'बालिका शिक्षा घटक' के अधीन खोला गया प्रत्येक केन्द्र प्रतिवर्ष 5000/- रुपए का आवर्ती अनुदान और 1000/- रुपए का अनावर्ती अनुदान प्राप्त करेगा।	प्रत्येक संकुल के लिए इनमें से एक या एक से अधिक हस्तक्षेपणीय उपाय प्रत्येक संकुल के लिए 60000/- रुपए प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के भीतर हाथ में लिए जा सकते हैं।

7(iii)	**अतिरिक्त प्रोत्साहन**--एसएसए 150/- रुपये प्रति बच्चे की सीमा तक बालिकाओं को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम के अधीन बालिकाओं को मौजूदा मानदण्डों के अलावा प्रोत्साहनों का एक पैकेज सुलभ रहेगा। प्रत्येक स्कूल के लिए एक माता/महिला समिति वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर, एसएसए के अधीन प्रत्येक बालिका के लिए प्रतिवर्ष 150/- रुपये की पहले से निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का निर्णय लेगी। तथापि यदि लड़कियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने के बाद कुछ बचत हो जाती है तो इस राशि में से बाकी बची राशि लेखन सामग्री, स्लेटों, कार्यपुस्तिकाओं, वर्दी, दुष्कर क्षेत्रों में मार्गरक्षी प्रदान करने जैसी अतिरिक्त मदों पर खर्च की जा सकती है।	150/- रुपये में से एसएसए के अधीन पाठ्यपुस्तकों के लिए खर्च की गई राशि घटाएं। यदि एसएसए के अधीन कोई राशि खर्च नहीं की जाती तो 150/- रुपये की पूरी राशि सुलभ रहेगी।	
7(iv)	**पोषण और स्कूल स्वास्थ्य**--बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लड़कियों में अधिक कुपोषण और उनके स्वास्थ्य के प्रति परिवार की न्यून प्राथमिकता उनकी अधिगम क्षमता को प्रभावित करती है। स्कूल स्वास्थ्य के अधीन सामान्य स्वास्थ्य जांच की जाएगी और जिन लड़कियों की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है उनके मामले में अधिक गहन अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। 'बालिका के लिए एक आदर्श संकुल स्कूल' मंजूर करने के बाद ऐसे स्कूलों की एक सूची जिसमें स्कूल को निकटतम सरकारी अस्पताल अथवा रेफरल अस्पताल अथवा पीएचसी केन्द्र से अवगत कराया गया होगा प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग को सूचित करते हुए सम्बन्धित राज्य स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाएगी जोकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आदर्श संकुल स्कूलों को आवश्यक सेवाएं सुलभ कराने का अनुरोध करेगा। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के साथ एक सहक्रिया स्थापित की जाएगी। प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संचालित 'मध्याह्न भोजन योजना' के लिए भी इसी प्रकार की सहक्रिया स्थापित की जाएगी।		
7(v)	**सामुदायिक अभिप्रेरण**--(नामांकन, बच्चों को शिक्षा में बनाए रखने और अधिगम के लिए अभिप्रेरण) सभी जिला और संकुल (लगभग 10 गांवों का समूह) स्तर के सभी अभिप्रेरणा क्रियाकलाप किए जाएंगे जिनमें ये शामिल हैं, अध्यापकों और शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण (माता अध्यापक संघ (एमटीए), महिला प्रेरक समूहों (डब्ल्यूएमजी) महिला समाख्या (एमएस) संघ आदि) जैसे संसाधन समूहों की स्थापना और प्रशिक्षण सहित सामुदायिक अभिप्रेरण, संसाधन समूह द्वारा क्रियाकलाप जैसे कि नामांकन, बच्चों को शिक्षा में बनाए रखना, माता-पिता से बातचीत करना आदि, संसाधन समूह का प्रशिक्षण और समीक्षा, नामांकन, उपस्थिति, उपलब्धि की दिशा में समुदाय द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई आदि। बालिका शिक्षा की कुंजी सामुदायिक अभिप्रेरण है। एसएसए कार्यक्रम में बस्ती/गांव/शहरी गन्दी बस्ती स्तर पर अभिप्रेरण का पहले ही उल्लेख किया गया है। इस प्रयोजन के लिए संकुल स्तर पर एक कोर समूह सहित, जिसमें महिला कामगार, स्वयंसेवक तथा माताएं/माता-पिता आदि शामिल होंगे एक संकुल समन्वयकर्ता गांव से लड़कियों को लाने और साथ ही उनकी उपलब्धि, उपस्थिति, शिक्षा में बने रहना आदि के मोनीटरन में सहायता प्रदान करेगा। इस घटक के अधीन समुदाय/संसाधन समूहों जिनमें माता	प्रत्येक संकुल में प्रशिक्षण, बालिकाओं के नामांकन, उपस्थिति उपलब्धि आदि के माध्यम से सामुदायिक अभिप्रेरण के लिए एसएसए के अधीन पहले से उपलब्ध प्रावधानों के अलावा पहले वर्ष के लिए 35000/- रुपये की दूसरे और	**यह राशि प्रबन्ध खर्चे के 6% हिस्से के रूप में होगी और यह राशि ईबीबी तथा बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल देने के लिए चुने गए शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अन्य क्षेत्रों में सामुदायिक अभिप्रेरण क्रियाकलापों के लिए किए गए खर्च के कारण बढ़ाई भी जा**

	अध्यापक संघ, महिला प्रबन्ध समूह, संघ आदि शामिल होंगे का प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। संकुल स्तर पर एक समन्वयकर्ता (प्रत्येक 5-25 गांवों के लिए एक) होगा जोकि एक अवैतनिक महिला कार्मिक के रूप में काम करेगी। उसे टीए/डीए का भुगतान किया जाएगा। यह कोर समूह आयोजना, अभिप्रेरण और क्रियाकलापों के कार्यक्रम पैकेज के कार्यान्वयन के अर्थों में कार्यक्रम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह करेगा। इसलिए इस समूह का गठन, सदस्यों का चयन, उनका प्रशिक्षण और दिशा अनुकूलन कार्यक्रम में एक प्रमुख इन्पुट होगा। उनकी भूमिका कार्यक्रम को सच्चे अर्थों में विकसित होने और स्थानीय परिस्थितियों तथा सामुदायिक स्वामित्व प्राप्त करने में सहायक होगी।	तीसरे वर्ष के लिए 20000/- रुपये की और चौथे तथा पांचवें वर्ष के लिए 10000/- रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें इस आशय की लागतें भी शामिल हैं: प्रबंध सूचना प्रणाली और प्रलेखन, समन्वयकर्ताओं के लिए मानदेय और टीए/डीए और संकुल स्तर पर संसाधन समूह की बैठकें	**सकती है। जिले की 6% की ऊपरी सीमा में इसकी वार्षिक जिला योजना के समग्र 'बालिका शिक्षा घटक' के 10% से अधिक की राशि की वृद्धि नहीं होगी।**
7(vi)	**कार्यान्वयन, मानीटरन और पर्यवेक्षणः** **राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर कार्यक्रम क्रियाकलापः** राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर क्रियाकलापों में ये क्रियाकलाप भी शामिल हैं (क) आयोजना (ख) प्रशिक्षण (ग) बैठक, कार्यशालाएं मूल्यांकन और एमआईएस (घ) अध्यापन अधिगम सामग्री, सीडी, फिल्मों तथा अन्य प्रशिक्षण सामग्री सहित सामग्री तैयार करना, फीस और मानदेय (ड.) पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा/विकास, लड़के और लड़कियों के विषयों के समावेशन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने में सहायता करना (च) बालिकाओं के लिए जीवन कौशलों सहित पूरक पठन सामग्री का विकास/संकलन जो कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए अपेक्षित सहायता करेगा तथा (छ) अन्तर्राज्यीय आदान-प्रदान, प्रलेखन, प्रकाशन, नेटवर्क निर्माण, पुस्तकालय, पत्रिकाएं आदि। प्रशिक्षण माड्यूल, पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्रीय क्रियाकलापों के विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एसएसए के प्रावधान जारी रहेंगे तथापि एनपीईजीईएल के कार्यान्वयन एकक द्वारा राज्य स्तर पर लिंग केन्द्रित सामग्री ऐसे क्रियाकलापों के केन्द्र में रहेगी। इनमें ये शामिल हो सकते हैं: (क) अध्यापन अधिगम सामग्री, सीडी, फिल्मों तथा अन्य प्रशिक्षण सामग्री सहित सामग्री तैयार करना, फीस और मानदेय, (ख) पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा/विकास, लैंगिक चिन्ताओं के समावेशन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने में सहायता करना, (ग) बालिकाओं के लिए जीवन कौशलों सहित पूरक पठन सामग्री का विकास/संकलन जो कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए अपेक्षित		

	सहायता करेगा, (घ) उपयुक्त पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र को तैयार/संकलित जिसमें लड़के-लड़कियों के परिप्रेक्ष्य से मूल्यांकन शामिल है। एमएस, लोक जुम्बिश परियोजना और जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना जैसे कायक्रमों के अंतर्गत पहले से तैयार की गई सामग्री, शिक्षाशास्त्र और माड्यूल जैसेकि पाठ्यपुस्तकों की लैंगिक समीक्षा, पूरक लैंगिक संवेदी अध्यापन अधिगम सामग्री के विकास का भी संग्रह और समावेशन किया जाएगा।		
7(vii)	**उपजिला, जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तरों पर एनपीईजीईएल के कार्यान्वयन, मोनीटरन और पर्यवेक्षण के लिए निधियां निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाएंगीः**	(क) परियोजना लागत के 6% के प्रबन्ध व्यय जिनमें योजना के मूल्यांकन और मोनीटरन तथा निर्धारण के लिए परामर्श, मौजूदा योजनाओं के साथ समन्वय, पक्षपोषण, कार्यशालाएं और सेमिनार स्थापना और प्रशासनिक व्यय आदि शामिल हैं, निम्नानुसार हैंः • राष्ट्रीय स्तर पर 1% तक की निधियां आयोजना, मानीटरन और समवर्ती मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाएंगी • राज्य और जिला स्तर पर 5% तक की निधियां आयोजना और मानीटरन के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। इस कार्यक्रम के लिए निधियां मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पैरा 5 में उल्लिखित तंत्र के अनुसार राज्य की एसएसए सोसायटी के माध्यम से भेजी जाएंगी। (ख) एसएसए के अधीन प्रबन्ध लागत के लिए नियत की गई 6% की ऊपरी सीमा में जिन क्षेत्रों में यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा उन क्षेत्रों में सामुदायिक अभिप्रेरण के लिए किए गए खर्च के कारण इस कार्यक्रम के अधीन जिले के लिए आबंटित समग्र राशि के 10% तक की वृद्धि की जा सकती है।	

8. प्रविधि

8.1 एनपीईजीईएल के जिला कार्यान्वयन यूनिट द्वारा 'बालिका शिक्षा घटक' के लिए एक अलग उपयोजना तैयार की जाएगी। डीपीईपी की ही तर्ज पर इन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सेल में भेजने से पूर्व राज्य स्तर पर संसाधन समूह द्वारा इनकी जांच की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद सेल जहां जरूरी होगा वहां बाह्य एजेंसियों/परामर्शदाताओं की सहायता से इन योजनाओं का मूल्यांकन करेगा। इस प्रयोजन के लिए गठित एक दल प्राप्त हुई योजनाओं का मूल्यांकन करेगा। एसएसए का परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) इन उपयोजनाओं को मंजूरी देगा। इन योजनाओं को मंजूरी देते समय पीएबी बालिकाओं/महिलाओं की शिक्षा में अनुभव और विशेषज्ञताप्राप्त दो विख्यात व्यक्तियों/एनजीओ को आमंत्रित करेगा।

8.2 ब्लैंक

8.3 वर्ष 2003-04 के लिए राज्य वर्ष 2003-04 के निमित्त एक पूरक वार्षिक योजना तैयार करेगा और उसे एसएसए की कार्यकारी समिति से अनुमोदित कराएगा। तदनन्तर अनुमोदित पूरक वार्षिक योजना अनुमोदन और निधियां प्रदान किए जाने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग को भेजी जाएगी।

8.4 2004-05 से राज्य एनपीईजीईएल के लिए एक उपयोजना तैयार करेगा जोकि एसएसए जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना का एक अंग होगी लेकिन इसका एक सर्वथा अलग घटक होगा।

9. एनपीईजीईएल के अधीन वित्तीय सहायता

9.1 एसएसए के प्राचलों के अनुसार इस घटक के अधीन सहायता केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच दसवीं योजना में 75:25 की भागीदारी और उसके बाद 50:50 की भागीदारी में होगी। लागतों की हिस्सेदारी को लेकर राज्यों की प्रतिबद्धताएं लिखित रूप में प्राप्त की जाएंगी।

9.2 एनपीईजीईएल के लिए प्रावधान एसएसए के अधीन पहले से उपलब्ध प्रावधानों के अलावा होंगे। एसएसए सोसायटी यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यक्रम के अधीन क्रियाकलापों की कोई पुनरावृत्ति न हो।

9.3 भारत सरकार सीधे एसएसए राज्य कार्यान्वयन सोसायटी को निधियां प्रदान करेगी। राज्य सरकार भी राज्य कार्यान्वयन सोसायटी को अपना हिस्सा देगी। इसके बाद जहां कहीं लागू होगा वहां महिला समाख्या को निधियां प्रदान की जाएंगी। जिन राज्यों में महिला समाख्या काम नहीं कर रही है इस योजना का कार्यान्वयन एसएसए सोसायटी के 'जेंडर यूनिट' नामक एक उपयूनिट के माध्यम से किया जाएगा और एसएसए द्वारा अपनाए जा रहे मौजूदा तंत्र का प्रयोग किया जाएगा।

9.4 राज्य सोसायटी एनपीईजीईएल की निधियों के लिए अलग बचत बैंक खाता खोलेगी। राज्य सरकार को एक अलग बजट शीर्ष के माध्यम से राज्य एसएसए सोसायटी को बराबर का हिस्सा भी प्रदान करना चाहिए। तदनुसार जिला और उपजिला ढांचों पर अलग-अलग खाते रखे जाने होंगे।

---

[1]मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 2.9.2003 के पत्र संख्या 25.1/203 ईई 8 के अधीन जारी किए गए एनपीईजीईएल मार्गदर्शी सिद्धान्तों से उद्धृत।

संलग्नक-IV
(देखें पैरा 45)

जिला		व्यय और शेष बच रहे क्रियाकलाप		बजट वर्ष	

क्रियाकलाप	पिछले वर्ष अनुमोदित		व्यय		शेष बच रहे	व्यपगत
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय
ब्लाक संसाधन केन्द्र					**लाखों में**	
आरपी-1 का वेतन						
आरपी-2 का वेतन						
आरपी-3 का वेतन						
फर्नीचर अनुदान						
आकस्मिकता अनुदान						
बैठक, टीए						
टीएलएम अनुदान						
अन्य (यदि कोई हो तो)						
उप-योग						
संकुल संसाधन केन्द्र						
आरपी-1 का वेतन						
आरपी-2 का वेतन						
फर्नीचर अनुदान						
आकस्मिकता अनुदान						
बैठक, टीए						
टीएलएम अनुदान						
अन्य (यदि कोई हो तो)						
उप-योग						

क्रियाकलाप	पिछले वर्ष अनुमोदित		व्यय		शेष बच रहे	व्यपगत
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय
सिविल निर्माण कार्य					**लाखों में**	
बीआरसी						
सीआरसी						
प्राथमिक स्कूल						
उच्च प्राथमिक						
भवनविहीन (प्रा)						
भवनविहीन (उप्र)						
खस्ताहाल भवन (प्रा)						
खस्ताहाल भवन (उप्रा)						
अतिरिक्त क्लास रूम						
टायलेट/ पेशाबघर						
पानी की सुविधा						
चारदीवारी						
विद्युतीकरण						
विभाजक दीवार						
बाल अनुकूल						
पिछले साल का बकाया						
अन्य (यदि कोई हो तो)						
उप-योग						

जिला		**शेष बच रहे क्रियाकलाप और व्यय**		बजट वर्ष	

क्रियाकलाप	पिछले वर्ष अनुमोदित		व्यय		शेष बच रहे	व्यपगत
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय
स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए हस्तक्षपेणीय उपाय					**लाखों में**	
ईजीएस केन्द्र (प्रा)						
ईजीएस केन्द्र (उप्रा)						
वापिस स्कूल चलो						
सेतु पाठ्यक्रम						
उपचारात्मक अध्यापन						
आवासीय शिविर						
नवाचारी योजना						
अन्य (यदि कोई हो तो)						
उप-योग						
मुफ्त पाठ्यपुस्तक						
मुफ्त पाठ्यपुस्तक (प्रा)						
मुफ्त पाठ्यपुस्तक (उप्रा)						
नवाचारी क्रियाकलाप						
ईसीसीई						
बालिका शिक्षा						
एस/एसटी						
कम्प्यूटर शिक्षा						
अन्य						
उप-योग						

क्रियाकलाप	पिछले वर्ष अनुमोदित		व्यय		शेष बच रहे	व्यपगत
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय
विकलांग बच्चे						लाखों में
आईईडी						
अनुरक्षण अनुदान						
स्कूल प्रबंध						
प्रबंध और एमआईएस						
प्रबंध और एमआईएस						
अनुसंधान और मूल्यांकन						
अनुसंधान-मूल्यांकन						
स्कूल अनुदान						
प्राथमिक स्कूल						
उच्च प्राथमिक						
उप-योग						
अध्यापक अनुदान						
प्राथमिक स्कूल						
उच्च प्राथमिक						
उप-योग						

क्रियाकलाप	पिछले वर्ष अनुमोदित		व्यय		शेष बच रहे	व्यपगत
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय
अध्यापक वेतन (नए)				**लाखों में**		
प्राथमिक						
उच्च प्राथमिक						
मुख्याध्यापक (प्रा)						
मुख्याध्यापक (उप्रा)						
अतिरिक्त						
अर्ध-अध्यापक						
अन्य (यदि कोई हो तो)						
उप-योग						
अध्यापक वेतन (आवर्ती)						
प्राथमिक						
उच्च प्राथमिक						
मुख्याध्यापक (प्रा)						
मुख्याध्यापक (उप्रा)						
अतिरिक्त						
अर्ध-अध्यापक						
अन्य (यदि कोई हो तो)						
उप-योग						
कुल वेतन						

क्रियाकलाप	पिछले वर्ष अनुमोदित		व्यय		शेष बच रहे	व्यपगत
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय
अध्यापक अधिगम उपकरण						**लाखों में**
टीएलई-नया प्राथमिक						
टीएलई-नया उच्च प्राथमिक						
गैर-ओबीबी उच्च प्राथमिक						
अन्य (यदि कोई हो तो)						
उप-योग						
अध्यापक प्रशिक्षण						
सेवाकालीन						
नई भर्ती						
अप्रशिक्षित						
दूरस्थ शिक्षा						
अन्य						
उप-योग						
सामुदायिक अभिप्रेरण						
नेताओं का प्रशिक्षण						
सकल योग						

संलग्नक-V
(देखें पैरा 62)

परिसम्पत्तियों का रजिस्टर

क्रम संख्या	अनुदानग्राही संस्थान का नाम	मंजूरी की संख्या और तारीख	स्वीकृत अनुदान की राशि	अनुदान का संक्षिप्त प्रयोजन	क्या अनुदान से अभिगृहीत की गई किसी सम्पत्ति अथवा अन्य परिसम्पत्तियों में सरकार के स्वामित्व के अधिकार के संबंध में सहायता अनुदान स्वीकृति में कोई शर्त शामिल की गई थी	वस्तुतः जमा कराई गई या अभिगृहीत परिसम्पत्तियों के ब्यौरे	.... की तारीख को परिसम्पत्तियों का मूल्य	वह प्रयोजन जिसके लिए अब प्रयोग में लाई गई	ऋणग्रस्त अथवा नहीं	यदि ऋणग्रस्त है तो उसके कारण	बेची गई अथवा नहीं	बेची गई तो उसके कारण और अधिकार यदि कोई हो तो	बेचे जाने पर प्राप्त राशि	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

संलग्नक-VI
(देखें पैरा 74.1)

अग्रिम रजिस्टर

तारीख	किसे दिया गया	अग्रिम के ब्यौरे	चेक नं. और तारीख	राशि	समायोजन के ब्यौरे	
					समायोजन की तारीख	समायोजित राशि

संलग्नक-VII
(देखें पैरा 76.1)

लेखाओं का एक नमूने का चार्ट
सर्व शिक्षा अभियान

श्रेणी	वर्गीकरण कोड संख्या	एसएसए मानदण्ड संख्या	लेखा विवरण
रोकड़			खुदरा-रोकड़ रोकड़-बैंक खाता रोकड़-अन्य
लेनदारी लेखे			लेनदारी लेखे-भारत सरकार लेनदारी लेखे-राज्य सरकार लेनदारी लेखे-अन्य लेनदारी लेखे-कर्मचारियों को अग्रिम लेनदारी लेखे-ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को अग्रिम लेनदारी लेखे-समुदाय को अग्रिम
देनदारी लेखे			देनदारी लेखे-आपूर्तिकर्ता देनदारी लेखे-ठेकेदार देनदारी लेखे-समुदाय देनदारी लेखे-अन्य
वित्तपोषी स्रोत			भारत सरकार राज्य सरकार अन्य
व्यय		 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 9 10 11 12 13	निवेश लागत घ्यातव्य समूह के बच्चों को पाठ्यपुस्तकें सिविल निर्माण कार्य नए स्कूल भवन भवनविहीन स्कूलों के लिए स्कूल भवन अतिरिक्त क्लास रूम मुख्याध्यापक के लिए कमरा टायलेट पेयजल सुविधाएं चारदीवारी विभाजक दीवार विद्युतीकरण बाल अनुकूल तत्व बीआरसी सीआरसी नए प्राथमिक स्कूलों के लिए टीएलई उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए टीएलई स्कूल अनुदान अध्यापक अनुदान अध्यापक प्रशिक्षण एसआईएएमटी

		14	समुदाय का प्रशिक्षण
		15	विकलांग बच्चों के लिए प्रावधान
		16	अनुसंधान और मूल्यांकन
		17	फर्नीचर तथा अन्य आपूर्ति
		17	उपकरण
		17	कार्यालयी उपकरण
		17	कम्प्यूटर और उसके कलपुर्जे
		17	वाहन
		17	परामर्शी और संबद्ध सेवाएं
		17	स्टाफ प्रशिक्षण
		18	उच्च प्राथमिक स्तर के लिए नवाचारी क्रियाकलाप कम्प्यूटर शिक्षा
		19	बीआरसी/सीआरसी फर्नीचर, उपकरण और कम्प्यूटर
		19	बीआरसी/सीआरसी टीएलएम
		20	ईजीएस/एआईई
व्यय			**आवर्ती लागत**
		1	अध्यापक वेतन
		7	स्कूल भवनों की मरम्मत और रखरखाव लागत
		17	स्टाफ का वेतन
		17	विशेषज्ञों का वेतन
		17	कार्यालयी खर्च
		17	भाड़े पर वाहन लेना
		17	लेखन सामग्री
		17	टेलीफोन
		17	फैक्स
		17	पीओएल
		17	डाकखर्च
		17	कार्यालय आकस्मिकताएं
		17	कार्यालय किराया
		17	बिजली प्रभार
		17	पानी प्रभार
		17	स्टाफ को टीए/डीए
		17	प्रशासनिक और प्रचालनात्मक लागतें
		17	मरम्मत और रखरखाव-वाहन
		17	मरम्मत और रखरखाव-उपकरण
		18	लड़कियों, ईसीसीई तथा एससी/एसटी के लिए नवाचारी क्रियाकलाप
		19	बीआरसी/सीआरसी वेतन
		19	बीआरसी/सीआरसी आकस्मिकता
		19	बीआरसी/सीआरसी बैठक यात्रा आदि
		20	ईजीएस/एआईई
विविध व्यय/हानियां		17	बैंक प्रभार
		17	ब्याज प्रभार

		17	अन्य
विविध आय/लाभ			ब्याज की आय अन्य

संलग्नक-VIII

(देखें पैरा 91.1)

तिमाही निधि प्रवाह और नकदी पूर्वानुमान विवरण

(रुपए लाखों में)

राज्यः					
को समाप्त तिमाहीः					
स्रोत और अनुप्रयोग		**विगत त्रैमासिकी के वास्तविक (विचाराधीन त्रैमासिकी)**	**पिछली तिमाही से नकदी पूर्वानुमान**		
			पहली तिमाही	**दूसरी तिमाही**	**योग**
अथशेष					
	(i) रोकड़ शेष				
	(ii) रोकड़ बैंक में				
	(iii) बकाया अग्रिम				
	योगः अथशेष				
	स्रोत (प्राप्ति)				
(क)	भारत सरकार से प्राप्त निधियां				
	(i) एसएसए				
	(ii) एनपीईजीईएल				
	उप-योग				
(ख)	राज्य सरकार से प्राप्त निधियां				
	(i) एसएसए				
	(ii) एनपीईजीईएल				
	उप-योग				
(ग)	ब्याज				
	(i) एसएसए				
	(ii) एनपीईजीईएल				
	उप-योग				
(घ)	अन्य				
	कुल प्राप्तियां				
	अनुप्रयोग (व्यय)				
(क)	अध्यापक वेतन				
(ख)	बीआरसी				
(ग)	सीआरसी				
(घ)	सिविल निर्माण कार्य				
(ड.)	ईजीएस/एआईई				
(च)	मुफ्त पाठ्यपुस्तकें				
(छ)	नवाचार				
(ज)	आईईडी				

(झ)	रखरखाव अनुदान				
(ञ)	प्रबंध लागत				
(ट)	अनुसंधान और मूल्यांकन				
(ठ)	स्कूल अनुदान				
(ड)	अध्यापक अनुदान				
(ढ)	टीएलई				
(ण)	अध्यापक प्रशिक्षण				
(त)	सामुदायिक अभिप्रेरण				
(थ)	एसआईईएमएटी				
(द)	राज्य घटक				
(ध)	एनपीईजीएल				
(न)	अन्य				
	कुल व्यय				
	अंत शेष				
	(i) रोकड शेष				
	(ii) रोकड़ बैंक में				
	(iii) बकाया अग्रिम				
	कुल अंत शेष				

टिप्पणीः नियम पुस्तिका के पैरा 73 में उल्लिखित अग्रिम प्रदान किए जाने को रिपोर्ट भेजने के प्रयोजन से व्यय समझा जाएगा।